

**बिहार लोक सेवा आयोग**  
15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),  
पटना – 800001

**विशेषज्ञ चिकित्सकों (वि.सं. 01/2014 से 12/2014) के संबंध में आवश्यक सूचना**

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा के अधीन विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय अधियाचना के आलोक में आयोग द्वारा निम्नांकित विज्ञापनों का प्रकाशन किया गया था:-

क्रम सं.	विज्ञापन सं.	पद का नाम	क्रम सं.	विज्ञापन सं.	पद का नाम
1.	01/2014	स्त्री रोग विशेषज्ञ	7.	07/2014	ई.एन.टी. विशेषज्ञ
2.	02/2014	मुच्छक	8.	08/2014	नेत्र रोग विशेषज्ञ
3.	03/2014	शिशु रोग विशेषज्ञ	9.	09/2014	माइक्रोबायोलॉजिस्ट
4.	04/2014	जेनरल सर्जरी	10.	10/2014	पैथोलॉजिस्ट
5.	05/2014	मानसिक रोग विशेषज्ञ (मनोचिकित्सक)	11.	11/2014	रेडियोलॉजिस्ट
6.	06/2014	चर्मरोग विशेषज्ञ	12.	12/2014	फिजिशियन विशेषज्ञ

उपर्युक्त विज्ञापनों क्र.सं. 1 से 4 तक में आवेदन प्राप्त हेतु अंतिम तिथि दिनांक 30.04.2014 एवं क्र.सं. 5 से 12 तक में अंतिम तिथि दिनांक 02.07.2014 निर्धारित की गयी थी।

2. पुनः विभागीय पत्रांक 2/नियुक्ति-11/2013-950(2), पटना, दिनांक 21.08.2014 द्वारा उपर्युक्त सभी विज्ञापनों के लिए दिनांक 01.08.2014 को अधिकतम उम्र सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट आरक्षण कोटिवार निम्न प्रकार दी गयी है:-

- (क) अनारक्षित वर्ग- 42 वर्ष  
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति- 47 वर्ष  
(ग) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग- 45 वर्ष  
(घ) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग)- 45 वर्ष

3. इसके अतिरिक्त "बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त), नियमावली 2013 में विभागीय अधिसूचना संख्या ज्ञापक-2/एम-77/06-1050 (2), पटना, दिनांक 25.09.2014 द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2014 में शैक्षणिक योग्यता के नियम- 7 का प्रथम पारा निम्नलिखित उप नियमा द्वारा संशोधित किया गया है:-

“(1) विशेषज्ञ उप-संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा डी.एन.बी. की डिग्री होगी।  
(2) विशेषज्ञ उप संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-11 के वेतनमान में नियुक्ति हेतु स्नातकोत्तर डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए क्रमशः तीन एवं पाँच वर्षों का कार्यानुभव आवश्यक होगा। उपर्युक्त कार्यानुभव वाले उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, वे विशेषज्ञ ग्रेड-11 में स्नातकोत्तर योग्यता वाल सामान्य चिकित्सकों के समकक्ष मूलवेतनमान- (अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ) में नियुक्त होंगे और आवश्यक कार्यानुभव प्राप्त होने के बाद, विशेषज्ञ ग्रेड-11 का वेतनमान के लिए पात्र होंगे।”

4. उपर्युक्त पुनरीक्षित उम्र छूट एवं शैक्षणिक योग्यता के आलोक में विज्ञापन संख्या- 01/2014 से 12/2014 तक के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों से पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापन की अन्य शर्तें, पूर्व में विज्ञापन संख्या- 01/2014 से 04/2014 के लिए दिनांक 27.03.2014 को प्रकाशित शुद्धि पत्र एवं विज्ञापन संख्या- 05/2014 से 12/2014 के लिए दिनांक 03.06.2014 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप ही रहगी। उम्मीदवारों को निदेश दिया जाता है कि आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित उपर्युक्त विज्ञापनों एवं शुद्धि पत्र के आलोक में ही आवेदन देंगे।

5. विहित प्रपत्र में भरा हुआ आवेदन पत्र सभी प्रमाण पत्रों के साथ आयोग कार्यालय में केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि वह गुरुवार दिनांक 27.11.2014 की संध्या 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाय।

6. जो उम्मीदवार, विज्ञापन संख्या- 01/2014 से 12/2014 के अधीन पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जैसे उम्मीदवार, जो पूर्व में आवेदन करते समय शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर अथवा डिप्लोमा अथवा डी.एन.बी.) एवं कार्यानुभव के प्रमाण पत्र संलग्न नहीं कर सके ह, वे सिर्फ एक सादे कागज पर अभ्यावेदन के साथ अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं विज्ञापन संख्या का उल्लेख करते हुए उपर्युक्त वर्णित प्रमाण पत्र एवं कार्यानुभव प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक बिना विहित शुल्क के भेज सकते हैं।

उपर्युक्त विज्ञापन संख्या - 01/2014 से 04/2014 के लिए प्रकाशित विज्ञापन एवं शुद्धि पत्र तथा विज्ञापन संख्या - 05/2014 से 12/2014 के लिए प्रकाशित विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र आयोग के वेबसाईट <http://bpsc.bih.nic.in> पर उपलब्ध है, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर व्यवहार में लायें।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना